13.5.15	पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उप० हैं। मूलवाद विड्रा होकर खारिज हो चुका है इसलिये T.I. प्रा० पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मूलवाद के परिपेक्ष में T.I. प्रा० पत्र भी खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से जमा हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी सांभर लेक	[illegible] [illegible] S sinsinwar

Scanned by CamScanner